

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(666)परि/नियम/मु./2021 / 430

जयपुर, दिनांक : 09/04/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit के फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन में "मैसर्स Extramile Gas Tech को फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) A(II) for CNG for In- use Gasoline Vehicles (as amended by GSR 84(E) & GSR 1151(E)), 115(2)(i), 115(14)F for Type approval norms for Gasoline Vehicles, idling Co & NMHC, Bharat Stage III के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट एजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Seating Capacity (incl. driver)	GVW(Kg)
Bajaj RE 4 STROKE 3 WHEELER AUTO RICKSHAW	L5M (3 Wheeler) & 4 Stroke	4 persons	670

MPFI "IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Engine Cm ³	Vintage of Vehicles
Piaggio Ape City	L5M (3 Wheeler) & 4 Stroke	200	01 st April 2010 till the validity of BS-III norms
TVS King		199	

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंगन (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।

3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता / Kit प्रदाय कर्ता / वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता / Kit प्रदाय कर्ता / वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment, को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि / परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

जयपुर, दिनांक 7.4.21

क्रमांक प.7(38)(666)परि/नियम/मु./2021 / 437-33
प्रतिलिपि:-

1. M/s. Extramile Gas Tech , 167, Mulkatamma Temple Road, Besides Rajiv Gandhi Stadium, Vittala Nagar, Bangalore 560026 , India को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

—sd—
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)